

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर०ए०एस०

राजस्व अपील संख्या 33/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
1. प्रभू गोदपुत्र अगराजी जाति कलबी निवासी थोबाऊ तहसील भीनमाल जिला जालोर	1. राजस्थान राज्य तहसीलदार भीनमाल	जरिये

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट  
सरकारी पैरोकार, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से

--:: निर्णय ::--

दिनांक : 18.9.18

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 21/2016 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किय। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम थोबाऊ के खसरा नम्बर 675 रकबा 14.32 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 782 रकबा 10.99 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 776 रकबा 3.35 हैक्टेयर की भूमि अन्य खातेदारान् की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज/06/03 पार्ट/ दिनांक 10.08.2016 का हवाला देते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि सहित अन्य खातेदारान् की भूमि में से 4 मीटर भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किए। रास्ता अभियान के तहत उन्ही भूमियों में से रास्ता दर्ज करने के आदेश थे, जिनमें मौके पर रास्ता चल रहा है, किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अपीलाण्ट की भूमि में किसी प्रकार का रास्ता नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को बिना कोई नोटिस जारी किए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिए जैर अपील आदेश पारित किया



राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

जो विधि विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत

नहीं किया तथा न ही विधिक प्रक्रिया की पालना की गई, मात्र रास्ता प्रदान करने की मनोस्थिति बनाकर रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया है। वास्तविकता तो यह है कि मौके पर जो रास्ता चल रहा है, वह खसरा नम्बर 663 की उत्तरी माठ एवं खसरा नम्बर 655, 656 एवं 658 की पश्चिमी माठ तथा खसरा नम्बर 681 व 676 की दक्षिणी माठ से होता हुआ खसरा नम्बर 738 के बीच में से खसरा नम्बर 738 की उत्तरी माठ एवं खसरा नम्बर 681 की उत्तरी माठ तक जाकर बन्द होता है। अपीलाण्ट की भूमि खसरा नम्बर 675 के दक्षिण की तरफ पुराना फलसा उसके आवागमन हेतु लगा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि उक्त रास्ता किन खातेदारान् की सुविधा हेतु इन्द्राज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने से लेकर निस्तारण करने तक किसी भी रूप में अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया गया तथा न ही अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी दी गई। सीधे कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा खातेदारान् की खातेदारी भूमि में चल रहे रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु अभियान चलाया गया, उसके उन रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज किया गया था, जो मौके पर तो चल रहे थे, किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारान् की खातेदारी में ही दर्ज थे, उन रास्तों की खातेदारी भूमि में ही रखते हुए किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किया गया है तथा रास्ते के रूप में नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किया गया है। इससे खातेदारान् के हित किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हुए, अपितु आमजन को रास्ते की सुविधा प्राप्त हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधिक दृष्टिकोण से न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं अन्य खातेदारान् की खातेदारी भूमि है, जिसमें मौके पर रास्ता सुचारु होने, किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार भीनमाल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार भीनमाल द्वारा प्रतिवेदन उपखण्ड अधिकारी भीनमाल को प्रेषित किया। उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर मौके पर चल रहे रास्ते को खातेदारान् की खातेदारी भूमि में ही रास्ते के रूप में दर्ज करने एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 द्वारा जो मौका फर्द रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह मौका रिपोर्ट स्वतन्त्र साक्षियों की उपस्थिति में तैयार की गई है, जिसमें विवादित आराजी में मौके पर रास्ते के रूप में भूमि का उपयोग लिया जाना अंकित है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भी रास्ते के कारण कृषि संक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु रास्ता अभियान चलाया गया, जिसका मंशा थी कि रास्ते के अभाव से कोई भी खातेदार अपनी कृषि संक्रियाओं से सहरुम न हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए खातेदारी भूमियों में चल रहे रास्तों को राजस्व




राजस्व अपील प्राधिकरण  
जयपुर

रेकॉर्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में खातेदारी की खातेदारी भूमि में ही दर्ज करने एवं नक्शा में रास्ते के रूप में तरमीम करने के आदेश पारित किए हैं, जिसके अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 21/2016 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
